भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3539

17 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने में विलंब

3539. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितम्बर, 2024 से गुणवत्ता नियंत्रण समिति की बैठकों को स्थगित किए जाने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप आयातित इस्पात प्रेषणों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने में विलंब हुआ है जिससे आयातकों को काफी नुकसान हुआ है;

(ख) इस्पात की उंची घरेलू कीमतों और बड़े इस्पात विनिर्माताओं द्वारा कथित गुटबंदी, जिससे छोटे विनिर्माताओं के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो रहा है, के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) किन कारणों से घरेलू इस्पात निर्माताओं के संरक्षण के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों के परिणामस्वरूप बीआईएस की अपेक्षाओं का अंधाधुंध प्रयोग, लंबे समय तक पत्तन विलंब और इस्पात की खपत करने वाले उद्योगों के लिए लागत में वृद्धि हुई है और घरेलू हितों से समझौता किए बिना आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए सुधारात्मक उपाय लागू किए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ग): भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने इस्पात मंत्रालय के परामर्श से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि देश में केवल गुणवत्तापूर्ण इस्पात का ही उत्पादन हो अथवा बाहर से आयात किया जाए। इस दिशा में, 151 बीआईएस मानकों को अधिसूचित किया गया है और इनकी इस्पात मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम उपयोगकर्ताओं और आम जनता को केवल गुणवत्तापूर्ण इस्पात ही उपलब्ध कराया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में उत्पादित अथवा आयातित इस्पात बीआईएस मानकों के अनुरूप है और निम्न-स्तरीय इस्पात का न तो उत्पादन होता है और न ही आयात किया जाता है।

बाहर से इस्पात का आयात केवल बीआईएस लाइसेंस के साथ किया जा सकता है। हालांकि, कुछ इस्पात ग्रेड जो अभी बीआईएस मानकों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, उनका इस्पात मंत्रालय से अनापत्ति

जारी....2/-

प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त कर आयात किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति द्वारा आवेदनों की गहन जांच की जाती है। समिति निर्धारित मानदंडों के अनुसार एनओसी आवेदनों पर निर्णय लेती है। एनओसी आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुचारु बनाने के लिए एक नया पोर्टल पहले ही शुरू किया जा चुका है।

(ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है जहां इस्पात की कीमतें बाजार की गतिशीलता द्वारा तय होती हैं और इसकी उपलब्धता के अनुसार उतार-चढ़ाव करती हैं। सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार कर, एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है।

*****